

(याचिका का हिन्दी संस्करण)

याचिका संख्या.....जीटी/2024

2019-24 तक की अवधि के लिए धौलीगंगा पावर स्टेशन के टैरिफ के टूइंग-अप हेतु याचिका और 2024-29 की अवधि के लिए धौलीगंगा पावर स्टेशन के टैरिफ हेतु याचिका

**एनएचपीसी लिमिटेड**  
(भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम)  
**NHPC Limited**  
(A Government of India Navratna Enterprise)



**खंड-1**

वाणिज्यिक विभाग

एनएचपीसी कार्यालय परिसर

सेक्टर-33, फरीदाबाद (हरियाणा) -121003

(अंग्रेजी संस्करण और हिंदी संस्करण के बीच असंगति या विसंगति की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा)

# माननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष

माननीय केंद्रीय विद्युत नियामक के समक्ष

आयोग, नई दिल्ली

याचिका संख्या /जीटी2024/

## इस मामले में :

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1) (ए) और 79(1)(ए) और सीईआरसी (कारबार संचालन) विनियम, 2023 के विनियम 15(1)(ए), 18, 23 और सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम, 2019 के विनियम 13, 24,25,26,31(3), 34(3), 35(2) के तहत **धौलीगंगा पावर स्टेशन** के संबंध में 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफके टूइंग अप हेतु टैरिफ याचिका।

## और इस मामले में :

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1) (ए) और 79(1)(ए) और सीईआरसी (व्यवसाय का संचालन) विनियम, 2023 के विनियम 15(1)(ए), 18, 23 और सीईआरसी (टैरिफ की शर्तें और नियम) विनियम, 2024 के विनियम 9(2), 10(1), 12, 25, 26, 36 (2), 65(7), 65(8) और अन्य प्रासंगिक विनियमों के तहत **धौलीगंगा पावर स्टेशन** के संबंध में 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका।

## याचिकाकर्ता:

एनएचपीसी लिमिटेड,

(भारत सरकार का नवरत्न उद्यम)

एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर,33-

फरीदाबाद (हरियाणा)-121003

## प्रतिवादी :(गण)

- .1 अध्यक्ष ,  
पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड,  
(पंजाब) 001 147 – पटियाला ,काली बाड़ी मंदिर के पास ,द मॉल  
ईमेलcom.gmail@seisbpspcl :  
फ़ोन नंबर 9646121804 :
- .2 ,हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र  
शक्ति भवन।(हरियाणा) 134109-पंचकुला ,6-सेक्टर ,  
ईमेलin.org.uhbn@cehppc :  
फ़ोन नंबर 9316274614
- .3 , अध्यक्ष  
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड,  
शक्ति भवन 14 ,अशोक मार्ग(उत्तर प्रदेश) 226001 - लखनऊ ,  
ईमेल com.mailg@2010spatcircle :  
9415005911 ,2287827-0522 : फ़ोन
- .4 ,मुख्य अभियंता एवं सचिव  
इंजीनियरिंग विभाग, प्रथम तल ,  
यूटी चंडीगढ़-9 सेक्टर ,डी,  
चंडीगढ़ 009 160 –  
ईमेलin.nic@chd-2elop :  
फ़ोन8054104521 :
- .5 ,मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड,बीएसईएस भवन ,  
नेहरू प्लेस019 110 – नई दिल्ली ,  
ईमेलcom.relianceada@bajpeyi.megha :  
फ़ोन9313819851 :
- .6 ,मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड,  
शक्ति किरण बिल्डिंग072 110 - दिल्ली ,कड़कड़डूमा ,

ईमेल ; com.relianceada@singh.sameer :prem.kumar@relianceada.com

फ़ोन8010618255 :

.7 ,मुख्य परिचालन अधिकारी

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड,  
पूर्ववर्ती नॉर्थ दिल्ली पावर लिमिटेड, स्टेशन बिल्डिंग-ग्रिड सब ,  
हडसन लाइन्स009 110 – नई दिल्ली ,किंग्सवे कैंप ,।  
ईमेलcom.ddl-tatapower@bansal.anurag :  
फ़ोन.9971393919 :

.8 अध्यक्ष,

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड,  
विद्युत भवन,(हिमाचल प्रदेश) 171004-शिमला ,कुमार हाउस ,  
फ़ोन 2801265-0177 :  
ईमेल in.hpseb@cecomm;in.hpseb@cemm :

.9अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,

उत्तरांचल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऊर्जा भवन ,  
कांवली रोड(उत्तराखंड) 001 248 - देहरादून ,  
ईमेलCOM.YAHOO@CGMUPCL :  
फ़ोन7533967111 :

.10 प्रबंध निदेशक,

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ,(जेवीवीएनएल)  
विद्युत भवन ,जनपथ ,ज्योति नगर(राजस्थान) 005 302 - जयपुर ,  
;2741134-141-91 : फ़ोनईमेल org.jvvl@md :

.11 प्रबंध निदेशक,

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,पुराना पावर हाउस ,  
हट्टी भट्टा(राजस्थान) 001 305 - अजमेर ,जयपुर रोड ,  
फ़ोन ,2644551 0145 :  
ईमेल in.gov.rajasthan@avnl.seitajm , com.yahoo@10145avvn :

.12 प्रबंध निदेशक,

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,न्यू पावर हाउस ,  
औद्योगिक क्षेत्रजोधपुर ,र (राजस्थान) 003 342 –

;2651200-0291 : फ़ोन  
ईमेल in.gov.rajasthan@jdvvn1.cs :  
.13 प्रधान सचिव,  
विद्युत विकास विभाग, नया सचिवालय ,  
जम्मू 001 180 –(जम्मू और कश्मीर)  
ईमेल ; com.gmail@sqmjkspdcll : .9419156100 : फ़ोन

एनएचपीसी लिमिटेड  
के माध्यम से

)अजय श्रीवास(  
महाप्रबंधक )वाणिज्य(

स्थान : फरीदाबाद

तारीख : 28.11.2024

## अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
<b>खंड-I-</b>		
1.	सामान्य शीर्षक (GeneralHeading)	1-4
2.	अनुक्रमणिका	5
3.	याचिका	6-33
4.	शपथ पत्र एवं अधिकार पत्र	34-37
	अनुलग्नक:	
अनुलग्नक-I	सीईआरसी (टैरिफ की शर्तें और नियम) विनियम, 2019 में निर्धारित अनुसार ऑडिटेड टैरिफ फॉर्म 1 से 19	38-278
अनुलग्नक-II	सीईआरसी (टैरिफ की शर्तें और नियम) विनियम, 2024 में निर्धारित अनुसार ऑडिटेड टैरिफ फॉर्म 1 से 19	279-336
अनुलग्नक-III	लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रभावी दर प्रमाणपत्र	337-346
अनुलग्नक-IV	याचिका संख्या 284/GT/2020 (धौलीगंगा पावर स्टेशन) में CERC टैरिफ आदेश दिनांक 18.08.2022 और इसका शुद्धिपत्र 10.11.2022 को जारी किया गया	347-443
अनुलग्नक-V	वेतन संशोधन के प्रभाव का दावा करने के समर्थन में लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र	444-447
<b>खंड -II</b>		
अनुलग्नक-VI	बीमा दावे के समर्थन में दस्तावेज़-सीपीएम और मेगा बीमा पॉलिसी	448-710
अनुलग्नक-VIII	2019-21 की अवधि के लिए ऑडिटेड बैलेंस शीट	711-989
<b>खंड -III</b>		
अनुलग्नक-IX	24-2021 की अवधि के लिए ऑडिटेड बैलेंस शीट	990-1364
	2024-29 की अवधि के लिए फॉर्म-9ए में दावों के समर्थन में सहायक दस्तावेज	1365-1393
अनुलग्नक- X	एनएचपीसी निदेशक मंडल की 485वीं बैठक के कार्यवृत्त और बोर्ड एजेंडा नोट	1394-1403
अनुलग्नक- XI	प्रतिवादी को (गण) भेजे गए ईमेल का प्रमाण केवल) (के लिए CERC	

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1) (ए) और 79(1)(ए) और सीईआरसी (व्यवसाय का संचालन) विनियम, 2023 के विनियम 15(1)(ए), 23 और सीईआरसी (टैरिफ की नियम और शर्तें) विनियम, 2019 के विनियम 13, 24,25,26,31(3), 34(3),35(2) और 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ के सही निर्धारण के लिए इसके बाद के संशोधन और **धौलीगंगा पावर स्टेशन** के संबंध में 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए सीईआरसी (टैरिफ की नियम और शर्तें) विनियम, 2024 के विनियम 9(2), 10(1), 12, 25, 26,36(2), 65(7), 65(8) और अन्य प्रासंगिक विनियमों के तहत याचिका।

### **(ए) याचिका का कार्यकारी सारांश**

1. एनएचपीसी लिमिटेड, जिसे आगे 'एनएचपीसी' कहा जाएगा, विद्युत मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अर्थ में एक कंपनी है। इसके अलावा, यह विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2(28) के तहत परिभाषित एक 'जनरेटिंग कंपनी' है। एनएचपीसी के पावर स्टेशनों से उत्पादित बिजली उसके लाभार्थियों को आपूर्ति की जा रही है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 13 **धौलीगंगा** पावर स्टेशन (4x70=280 मेगावाट) के लाभार्थी हैं, जो उनके साथ हस्ताक्षरित पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए)/बीपीएसए के अनुसार इस पावर स्टेशन से बिजली ले रहे हैं और अपने-अपने राज्यों/क्षेत्रों में बिजली के वितरण के लिए जिम्मेदार हैं।
3. **धौलीगंगा** पावर स्टेशन (4x70=280 मेगावाट) जिसे आगे " धौलीगंगा पावर स्टेशन" कहा जाएगा) जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित है तथा इसका 24.05.2018 को वाणिज्यिक संचालन घोषित किया गया है। एनएचपीसी वाणिज्यिक संचालन के बाद से इस पावर स्टेशन का संचालन और रखरखाव कर रही है।
4. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 में वितरण लाइसेंसधारी को विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा आपूर्ति के लिए उपयुक्त आयोग द्वारा टैरिफ निर्धारण का प्रावधान है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ए) के तहत माननीय आयोग को केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली या उसके नियंत्रण वाली विद्युत उत्पादन कंपनियों के टैरिफ को विनियमित करने का कार्य सौंपा गया है।

5. माननीय आयोग ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ की शर्तें और नियम) विनियम, 2019 और उसके बाद के संशोधनों के अनुसार याचिका संख्या 284/जीटी/2020 में अपने आदेश दिनांक 18.08.2022 और 10.11.2022 को जारी अपने शुद्धिपत्र के माध्यम से 01.04.2019 से 31.03.2024 तक की टैरिफ अवधि के लिए धौलीगंगा का टैरिफ निर्धारित किया है।
6. माननीय आयोग के दिनांक 18.08.2022 के आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने माननीय एपीटीईएल के समक्ष अपील संख्या 795/2023 दायर की है।
7. उपरोक्त अपील (अर्थात् 795/2023) के परिणाम का 2014-19 और 2019-24 की अवधि के लिए पावर स्टेशन के टैरिफ पर परिणामी प्रभाव पड़ेगा, माननीय आयोग से अनुरोध है कि वह 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ के सही निर्धारण के समय और 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ को अंतिम रूप देते समय उक्त अपील के परिणाम पर विचार करें।
8. याचिका से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नानुसार हैं:

01.11.2005	धौलीगंगा पावर स्टेशन का सीओडी
31.10.2019	2014-19 की अवधि के लिए टैरिफ के टू-अप और 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए टैरिफ याचिका संख्या 284/जीटी/2020 दाखिल करना।
18.08.2022	याचिका संख्या 284/जीटी/2020 में 2014-19 की अवधि के लिए टैरिफ के टू-अप और 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए टैरिफ आदेश जारी करना।
10.11.2022	याचिका संख्या 284/GT/2020 में शुद्धिपत्र आदेश जारी करना
28.09.2022	याचिका संख्या 284/GT/2020 में दिनांक 18.08.2022 के टैरिफ आदेश में समीक्षा याचिका 42/RP/2022 दाखिल करना
16.07.2023	याचिका संख्या 284/GT/2020 में दिनांक 18.08.2022 के टैरिफ आदेश

	में समीक्षा याचिका 42/RP/2022 में आदेश जारी करना।
--	---

**दावों का सारांश:**

**(ट्रूअप याचिका -2019-24)**

**पूँजीगत लागत:**

(लाख रुपए में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
दिनांक 18.08.2022के आदेश द्वारा नेट अतिरिक्त अनुमत पूँजीकरण	896.63	67.69	179.16	100.00	101.77
इस याचिका में दावा किया गया नेट वास्तविक ऐड कैप	140.78	222.03	158.88	470.94	296.97

**वार्षिक नियत लागत )एएफसी**

(लाख रुपए में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
दिनांक 18.08.2022 के आदेश द्वारा अनुमत वार्षिक नियत लागत (एएफसी)	23430.64	23868.68	24279.30	24766.98	25251.01
तत्काल याचिका में दावा किया गया वार्षिक नियत	26487.40	25748.91	26223.81	28467.62	290,89.68

लागत (एएफसी)					
--------------	--	--	--	--	--

## (टैरिफ याचिका- 2024-29)

पूँजी लागत:

(लाख रुपए में)

विवरण	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
प्रारंभिक पूँजी लागत	176607.84	177032.82	177880.96	178707.23	179292.11
वर्ष के दौरान शुद्ध अतिरिक्त पूँजीकरण	424.98	848.14	826.26	584.89	0.00
समापन (closing) पूँजी लागत	177032.82	177880.96	178707.23	179292.11	179292.11

वार्षिक नियत लागत (एएफसी):

(लाख रुपए में)

विवरण(Particular)	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
वार्षिक नियत लागत का दावा	29044.0 3	29909.31	30870.23	31874.80	32830.94

## (बी) विस्तृत याचिका

भाग 24-2019 :ए-की अवधि के लिए टैरिफ का ड्रॉइंग अप(1-अनुलग्नक)

- माननीय आयोग ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ की शर्तें और नियम) विनियम, 2019 और उसके बाद के संशोधनों के अनुसार याचिका संख्या 284/जीटी/2020 में अपने आदेश दिनांक 18.08.2022 और 10.11.2022 को जारी अपने शुद्धिपत्र (अनुलग्नक-IV) के माध्यम से 01.04.2019 से 31.03.2024 तक की टैरिफ अवधि के लिए धौलीगंगा पावर स्टेशन का टैरिफ निर्धारित किया है।
- माननीय आयोग द्वारा दिनांक 18.08.2022 के आदेश के तहत अनुमत अनुमानित अतिरिक्त पूंजीकरण और गैर पूंजीकरण (यदि कोई, देयताओं के निर्वहन सहित) का सारांश निम्नानुसार है

(लाख रुपए में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
अतिरिक्त पूंजीगत व्यय की अनुमति	187.81	82.70	179.16	100.00	108.00
अनुमत पूंजी विनिवेश	214.51	15.01	0.00	0.00	6.23
दायित्वों) का निर्वहन	923.33	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>अनुमत शुद्ध अतिरिक्त पूंजीगत व्यय</b>	<b>896.63</b>	<b>67.69</b>	<b>179.16</b>	<b>100.00</b>	<b>101.77</b>

- माननीय आयोग द्वारा दिनांक 18.08.2022 के आदेश के तहत प्रारम्भिक लागत पूंजी रुपए 175318.24 लाख (01.04.2019 तक) पर विचार करते हुए अनुमत वार्षिक नियत लागत (एएफसी) और अतिरिक्त पूंजीकरण का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रुपए में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
मूल्यहास	2307.95	2329.60	2334.47	2339.80	2343.82
ऋण पूंजी पर ब्याज	1084.46	1021.29	949.67	890.12	805.92

इक्विटी पर रिटर्न	9483.89	9512.38	9516.74	9520.14	9521.43
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	626.28	604.09	581.28	600.32	619.03
प्रचालन और रखरखाव खर्चे सुरक्षा को मिलाकर	9928.05	10401.32	10897.14	11416.6	11960.83
वार्षिक नियत लागत (एएफ़सी)	<b>23430.64</b>	<b>23868.68</b>	<b>24279.30</b>	<b>24766.98</b>	<b>25251.01</b>

4. वर्तमान याचिका वास्तविक अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, आरओई की सकल कर दर, आधार दर, ऋण पर ब्याज दर, कार्यशील पूंजी पर ब्याज दर के आधार पर टैरिफ को टू – अप करने के लिए सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियमन, 2019 के विनियमन 13, 24, 25, 26, 31 (3), 34 (3), 35 (2) (सी), 65 (7), 65 (8) के अनुसार 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ के टूइंग- अप करने के लिए और 18.08.2022 के टैरिफ आदेश में माननीय आयोग के निर्देशानुसार दायर की जा रही है।
5. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका निम्नलिखित कारणों से दायर की गई है:

ए. सीईआरसी द्वारा दिनांक 18.08.2022 के आदेश के अनुसार अनुमत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय और 2019-24 के दौरान धौलीगंगा द्वारा किए गए वास्तविक अतिरिक्त पूंजीगत व्यय में भिन्नता है। इसके अलावा, सीईआरसी द्वारा अनुमत कुछ अतिरिक्त पूंजीगत व्यय (संबंधित विलोपन सहित) व्यय नहीं किया गया है/नहीं किया जाना है और इसलिए इस याचिका में वास्तविक स्थिति का खुलासा/दावा किया जा रहा है।

बी. कुछ अतिरिक्त पूंजीगत व्यय जिनका अनुमान पहले नहीं लगाया गया था, परंतु साइट विशेष की आवश्यकताओं के कारण , (specific site requirements) पावर स्टेशन द्वारा वहन किया गया जो संयंत्र के सुरक्षित आवश्यक है लिए सफल और कुशल संचालन के ,। इस तरह के अतिरिक्त पूंजीकरण को टैरिफ के लिए आधारभूत पूंजी (capital base) के हिस्से के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

सी. सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2019 के विनियमन 31(3) के अनुरूप 2019-24 की अवधि के लिए एनएचपीसी पर लागू 'प्रभावी कर दर' के आधार पर इक्विटी पर रिटर्न की सकल दर का टूइंग- अप करना।

डी. ऋण पर ब्याज (IOL) और इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) (कट-ऑफ तिथि के बाद मूल दायरे से परे एड कैप पर इक्विटी के लिए) की गणना के लिए ऋण पर ब्याज दर का टूइंग- अप करना ।

ई. कार्यशील पूंजी (IOWL) पर ब्याज की गणना के लिए आधार दर (टैरिफ अवधि के संबंधित वर्ष के 1 अप्रैल को एक वर्षीय एसबीआई एमसीएलआर + 350 आधार अंक) का टूइंग- अप करना ।

एफ. सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2019 के विनियमन 35(2)(सी) के अनुरूप वास्तविक के अनुसार सुरक्षा व्यय और पूंजीगत स्पेयर की खपत का दावा करना।

6. टैरिफ के लिए दावा किए गए शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण का विवरण 2019-24 की अवधि के लिए लेखा पुस्तकों के अनुसार वास्तविक पूंजीगत परिवर्धन से प्राप्त किया गया है। इसका विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
ए	जोड़ें: वर्ष / अवधि के दौरान वृद्धि	70.96	415.77	144.17	501.65	181.23
बी	घटाएँ: वर्ष/अवधि के दौरान पूंजी-विमुद्रीकरण	3.40	194.33	17.96	31.16	54.65
सी	जोड़ें: वर्ष / अवधि के दौरान निर्वहन	73.21	0.58	32.68	0.44	170.39

	(discharges)					
डी	शुद्ध योग (सी+बी-ए)	140.78	222.03	158.88	470.94	296.97

7. कुछ अतिरिक्त पूंजीकरण हैं जिनका दावा पहले याचिका संख्या 284/जीटी/2020में नहीं किया गया था और ये उत्पादन स्टेशन के सुरक्षित, सफल और कुशल संचालन के लिए आवश्यक हो गए हैं। ये कार्य पावर स्टेशन की साइट की आवश्यकता के अनुसार किए गए हैं और 2019-24 की अवधि के लिए लेखा पुस्तकों में पूंजीकृत किए गए हैं। इस तरह के अतिरिक्त पूंजीकरण का दावा CERC टैरिफ विनियमन 2019 के विनियमन 26 के तहत संबंधित वित्तीय वर्ष में विस्तृत औचित्य के साथ फॉर्म 9A में किया गया है क्योंकि इस तरह के व्यय के दावे के लिए कोई विशिष्ट खंड नहीं है। माननीय आयोग से अनुरोध है कि कृपया उत्पादन स्टेशन के टैरिफ के उद्देश्य के लिए ऐसी अतिरिक्त सीमा की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

8. छोटी संपत्तियों, औजारों और उपकरणों, फर्नीचर, कंप्यूटर आदि के प्रकृति की कुछ वस्तुएं, जिन्हें सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 के नियमन 25 और 26 के प्रावधानों के अनुसार कट ऑफ तारीख के बाद टैरिफ के उद्देश्य से पूंजीकृत करने की अनुमति नहीं है, कोअप श्रेणी (फॉर्म 9डी) के तहत रखा गया है। ऐसी वस्तुओं को हटाने को फॉर्म 9बी(i) में भी बहिष्करण श्रेणी में रखा गया है क्योंकि टैरिफ के उद्देश्य से सीईआरसी द्वारा संबंधित सकारात्मक प्रविष्टियों की अनुमति नहीं दी जा रही है। तदनुसार, माननीय आयोग से अनुरोध है कि टैरिफ के उद्देश्य से ऐसी प्रविष्टियों को बाहर रखा जाए / अनदेखा किया जाए।

9. उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, सीईआरसी द्वारा दिनांक 18.08.2022 के आदेश के तहत पहले से अनुमत शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण और तत्काल याचिका में दावा किए गए 2019-24 के लिए शुद्ध वास्तविक अतिरिक्त पूंजीकरण का सारांश निम्नानुसार है:

(लाख रुपए में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
दिनांक 18.08.2022 के	896.63	67.69	179.16	100.00	101.77

आदेश द्वारा अनुमत शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण Net ) (Allowed Add Cap					
इस याचिका में दावा किया गया शुद्ध वास्तविक अतिरिक्त पूंजीकरण	140.78	222.03	158.88	470.94	296.97

10. **पूंजीगत लागत** :सीईआरसी द्वारा दिनांक 18.08.2022 के टैरिफ आदेश में विचारित उपरोक्त अतिरिक्त पूंजीकरण और ₹175318.24 लाख (01.04.2019 तक) की प्रारंभिक पूंजी लागत को ध्यान में रखते हुए, टैरिफ की गणना के लिए वर्षवार पूंजी लागत निम्नानुसार है:

(लाख रुपए में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
प्रारंभिक पूंजी लागत	175318.24	175459.02	175681.05	175839.93	176310.87
वर्ष के दौरान शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण	140.78	222.03	158.88	470.94	296.97
<b>समापन पूंजी लागत (closing capital cost)</b>	175459.02	175681.05	175839.93	176310.87	176607.84

11. **वार्षिक नियत लागत :की गणना (एएफसी)**

उपरोक्त पूंजीगत लागत के आधार पर टैरिफ के विभिन्न घटकों की गणना निम्नलिखित विधि से की गई है , जैसा कि प्रासंगिक नियमों में विनिर्दिष्ट है :

**ए. इक्विटीपररिटर्न:(ROE)**

- (i) धौलीगंगा पावर स्टेशन एक पॉडेज प्रकार की प्लांट योजना है, आरओई की गणना के लिए आधार दर 31.03.2019 तक किए गए व्यय और कट-ऑफ तारीख से परे मूल दायरे में किए गए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के लिए सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019 के विनियम 30(2) के अनुसार 16.5% की दर पर विचार किया गया है। मूल दायरे से परे और कट-ऑफ तारीख के बाद किए गए व्यय के लिए, जनरेटिंग स्टेशन की ब्याज की भारित औसत दर को आरओई की गणना के लिए आधार दर के रूप में माना गया है।
- (ii) आरओई की आधार दर को सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2019 के विनियम-31(3) के अनुसार टैरिफ अवधि **(अनुलग्नक- III)** के विभिन्न वर्षों के लिए एनएचपीसी पर लागू 'प्रभावी कर' दर के साथ जोड़ा गया है। इसका विवरण **अनुलग्नक- I के फॉर्म-1(ii)** में दिया गया है।

**बी.मूल्यहास:**

चूंकि धौलीगंगा पावर स्टेशन ने पहले ही अपने उपयोगी जीवन के 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं, इसलिए पावर स्टेशन के शेष उपयोगी जीवन पर शेष मूल्यहास मूल्य के प्रसार को सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 के नियम 33(5) के अनुरूप माना गया है। इसके अलावा, याचिका संख्या 284/जीटी/2020 में सीईआरसी के आदेश दिनांक 18.08.2022 के अनुसार, 31.03.2019 तक वसूल किए गए 96287.28 लाख रुपये के शुद्ध संचयी मूल्यहास पर विचार किया गया है और वास्तविक ऐड कैप के अनुसार 2019-24 की अवधि के लिए मूल्यहास की पुनर्गणना की गई है।

**सी. ऋण पर ब्याज:**

CERC टैरिफ विनियम, 2019 के विनियम 32(5) के अनुरूप टैरिफ अवधि के लिए ऋण पर ब्याज की गणना के लिए वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो पर आधारित ब्याज की भारित औसत दर पर विचार किया जाता है।

**डी .प्रचालन एवं रखरखाव पर व्यय:**

टैरिफ अवधि 2019-24 के लिए धौलीगंगा पावर स्टेशन के लिए लागू मानक ओ एंड एम व्यय को पहले ही सीईआरसी (टैरिफ की शर्तें और नियम) विनियम, 2019 के माध्यम से माननीय आयोग द्वारा अधिसूचित किया जा चुका है और साथ ही आयोग द्वारा 18.08.2022 के टैरिफ आदेश में भी इसकी अनुमति दी गई है। टैरिफ अवधि 2019-24 के लिए याचिका संख्या 284/जीटी/2020 में माननीय आयोग द्वारा अपने आदेश दिनांक 18.08.2022 के माध्यम से पहले से ही अनुमत मानक ओ एंड एम व्यय के साथ-साथ पूंजीगत पुर्जों की खपत का वास्तविक प्रभाव (फॉर्म-17 का अनुलग्नक-II), सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 के विनियम 35(2)(सी) के अनुसार वास्तविक सुरक्षा व्यय (फॉर्म-17 का अनुलग्नक-I) और याचिका के अनुलग्नक-I के फॉर्म-17 के परिशिष्ट-I के अनुसार वेतन संशोधन के प्रभाव पर विचार किया गया है। माननीय आयोग ने याचिका संख्या 284/जीटी/2020 में दिनांक 18.08.2022 के आदेश के पैरा 119 में निम्नानुसार अनुमति दी है:

***“(ए) वेतन संशोधन का प्रभाव***

*119. जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 51 में कहा गया है, इस आदेश में उत्पादन स्टेशन के लिए वेतन संशोधन का प्रभाव निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि यह याचिकाकर्ता द्वारा दायर और इस आयोग के विचारार्थ लंबित याचिका संख्या 233/एमपी/2019 में आयोग के निर्णय द्वारा शासित होगा। चूंकि 2019-24 टैरिफ के लिए याचिकाकर्ता का दावा 2018-19 तक अनुमत वेतन/वेतन संशोधन के प्रभाव पर आधारित है, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए दावा किए गए वेतन संशोधन और ग्रेच्युटी में बढ़ी हुई सीमा के प्रभाव पर इस आदेश में विचार नहीं किया गया है। हालांकि, 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए टैरिफ के सही होने के समय इस पर विचार किया जाएगा।”*

माननीय आयोग ने वेतन संशोधन के दावा किए गए प्रभाव को अनुमति देते हुए दिनांक 10.11.2022 के आदेश के तहत याचिका संख्या 233/एमपी/2019 का निपटारा कर दिया है। याचिका संख्या 233/एमपी/2019 में दिनांक 10.11.2022 के आदेश और वेतन संशोधन के प्रभाव का दावा करने के

लिए लेखा परीक्षकों के प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-V) के आधार पर, वेतन संशोधन के प्रभाव की गणना की गई है और फॉर्म-17 (अनुलग्नक-I) के परिशिष्ट-I में दावा किया गया है। माननीय आयोग से अनुरोध है कि इसकी अनुमति दी जाए।

### ई. कार्यशील पूंजी पर ब्याज

कार्यशील पूंजी पर ब्याज की गणना सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2019 के विनियमन 34(3) के अनुसार टैरिफ अवधि के संबंधित वर्ष की 1 अप्रैल को बैंक दर (1 वर्ष एसबीआई एमसीएलआर + 350 बीपी) पर विनियमन 34(1)(सी) के अनुसार मानक आधार पर की गई है।

12. ऊपर पैरा-10 और पैरा-11 में उल्लिखित पूंजी लागत और मापदंडों के आधार पर, याचिकाकर्ता ने टैरिफ अवधि 2019-24 के लिए संशोधित वार्षिक निश्चित शुल्क (एएफसी) की गणना की है। सीईआरसी द्वारा 18.08.2022 के आदेश के तहत अनुमत एएफसी का विवरण और याचिकाकर्ता द्वारा गणना की गई और तत्काल याचिका में दावा किया गया विवरण नीचे संक्षेप में दिया गया है:

(लाख रुपए में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
18.08.2022 के आदेश द्वारा अनुमत एएफसी	23430.64	23868.68	24279.30	24766.98	25251.01
वर्तमान याचिका में दावा किया गया ए.एफ.सी.					
मूल्यहास	2295.44	2301.90	2313.36	2325.82	2341.94
ऋण पर ब्याज	1054.05	1019.92	955.32	842.00	801.49
इक्विटी पर	9443.03	9523.04	9493.75	10884.26	11049.28

रिटर्न					
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	756.22	678.07	653.27	704.44	823.26
प्रचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम ) पर व्यय	12938.66	12225.99	12808.10	13711.10	14073.71
दावा किया गया वार्षिक नियत लागत ( एएफसी )	<b>26487.40</b>	<b>25748.91</b>	<b>26223.81</b>	<b>28467.62</b>	<b>290,89.68</b>

वर्तमान याचिका में दावा किए गए एएफसी और दिनांक 18.08.2022 के आदेश के अनुसार स्वीकृत एएफसी के बीच के अंतर को सीईआरसी (शुल्क की शर्तें और नियम) विनियम, 2019 के विनियम 13 के खंड (4) के प्रावधानों के अनुसार लाभार्थियों से वसूल / वापस करने की अनुमति दी जा सकती है।

13. एनएचपीसी के परिचालन पावर स्टेशनों के संबंध में फाइलिंग शुल्क सीईआरसी (शुल्क का भुगतान) विनियम, 2012 और इसके संशोधनों के अनुरूप अप्रैल महीने के दौरान सीईआरसी को नियमित रूप से सालाना आधार पर भुगतान किया जा रहा है। धौलीगंगा पावर स्टेशन के संबंध में 2019-24 के दौरान भुगतान किए गए टैरिफ फाइलिंग शुल्क का विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	राशि (में .रु)
------	----------------

20-2019	12,32,000/-
21-2020	12,32,000/
22-2021	12,32,000/
23-2022	12,32,000/
24-2023	12,32,000/
<b>कुल</b>	<b>61,60,000/-</b>

इस प्रकार भुगतान किया गया टैरिफ फाइलिंग शुल्क टैरिफ आदेश दिनांक 18.08.2022 के अनुरूप प्रतिवादियों से वसूला जा रहा है।

14. उपरोक्त टैरिफ में किसी भी सरकार (केंद्र/राज्य) और/या किसी अन्य स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/नियामक प्राधिकरण द्वारा किसी भी अधिनियम या विनियमन के माध्यम से सहायक उपभोग सहित बिजली के उत्पादन या पानी, बिजली के संचरण, पर्यावरण संरक्षण, बिक्री या बिजली/ऊर्जा की आपूर्ति, और/या उत्पादन स्टेशनों और/या ट्रांसमिशन सिस्टम से जुड़े किसी भी प्रतिष्ठान के संबंध में लगाए गए किसी भी वैधानिक कर, शुल्क, शुल्क, उपकर, प्रभार या किसी भी अन्य प्रकार के अधिरोपण शामिल नहीं हैं।
15. एनएचपीसी द्वारा किसी भी महीने में संबंधित अधिकारियों को उक्त करों/शुल्कों/उपकर/शुल्क/शुल्क आदि के कारण देय ऐसे करों/शुल्कों/उपकर/शुल्क आदि की राशि सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2019 के विनियमन, 56 के अनुसार प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता को वहन की जाएगी और अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
16. इसके अलावा, टैरिफ प्रस्ताव में सीईआरसी (अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क और हानियों का बंटवारा) विनियम, 2020 और इसके संशोधनों तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र और अन्य संबंधित मामलों के शुल्क और प्रभार) विनियम, 2019 और इसके संशोधनों

के तहत PGCIL, POSOCO/NLDC को भुगतान किए जाने वाले किसी भी ट्रांसमिशन/संचार/यूएलडीसी शुल्क शामिल नहीं हैं। सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 के विनियम 57 और 70(3) के अनुसार ये शुल्क लाभार्थियों से सीधे वसूल किए जा सकेंगे।

### **भाग-बी: 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ याचिका (अनुलग्नक-II)**

1. सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2024 के विनियमन 9(2), 10(1), 12, 25, 26, 36(2) के अनुसार याचिकाकर्ता को 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ याचिका के साथ-साथ 2019-24 की अवधि के लिए टूइंग अप याचिका 30.11.2024 तक प्रस्तुत करनी होगी। सीईआरसी टैरिफ विनियमन के विनियमन 9(2) और 12 का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

#### ***"9 टैरिफ निर्धारण के लिए आवेदन***

.....

*(2) किसी विद्यमान उत्पादन केन्द्र या उसकी इकाई, या पारेषण प्रणाली या उसके अवयव के मामले में, उत्पादन कम्पनी या पारेषण लाइसेंसधारी द्वारा, जैसा भी मामला हो, 30.11.2024 तक आवेदन किया जाएगा, जो स्वीकृत पूंजीगत लागत के आधार पर होगा, जिसमें 31.3.2024 तक पहले से स्वीकृत और व्यय किए गए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय (या तो वास्तविक या अनुमानित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के आधार पर) और टैरिफ अवधि 2024-29 के संबंधित वर्षों के लिए अनुमानित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के साथ-साथ सीईआरसी (टैरिफ की शर्तें और नियम) विनियम, 2019 के अनुसार 2019-24 की अवधि के लिए टू-अप याचिका शामिल होगी।"*

#### ***"12 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ का टूइंग-अप***

*2019-24 की अवधि के लिए उत्पादन स्टेशनों, एकीकृत खानों और पारेषण प्रणालियों का टैरिफ केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की शर्तें और नियम) विनियम, 2019 के*

विनियमन 13 के प्रावधानों के अनुसार सही किया जाएगा, साथ ही 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ याचिका का टूइंग-अप भी किया जाएगा। टूइंग-अप के आधार पर 31.3.2024 को स्वीकृत पूंजी लागत 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए 1.4.2024 को आरंभिक पूंजी लागत का आधार बनेगी।”

इसके अलावा, सीईआरसी टैरिफ विनियम 2024 के विनियमन 10(1) के अनुसार, याचिकाकर्ता को प्रासंगिक टैरिफ फॉर्म (सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 के साथ **अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न**) के अनुसार याचिका दायर करनी है, जिसमें टैरिफ अवधि 2024-29 के लिए अनुमानित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय का विवरण शामिल है।

2. वर्ष 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ का टू-अप, प्रासंगिक टैरिफ प्रपत्र और अनुलग्नक इस याचिका के साथ **भाग-ए** के अंतर्गत संलग्न है।
3. चूंकि परियोजना की कट-ऑफ तिथि पहले ही बीत चुकी है, इसलिए सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2024 के विनियमन 25 और 26 के प्रावधानों के तहत 2024-29 की अवधि के लिए अनुमानित ऐड कैप का दावा किया जा रहा है।
4. टूइंग अप याचिका (भाग-ए) के आधार पर 31.03.2024 तक 176607.84 लाख रुपये की समापन पूंजी लागत को टैरिफ अवधि 2024-29 के लिए टैरिफ की गणना के लिए 01.04.2024 तक प्रारंभिक पूंजी लागत के रूप में उपयोग किया गया है।
5. इस याचिका में विचार किए गए टैरिफ अवधि 2024-29 के लिए अनुमानित पूंजीगत व्यय का विवरण **अनुलग्नक-II** के फॉर्म-9ए में दिया गया है। इसे नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

(लाख रुपए में)

क्रम	विवरण	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29

सं.						
ए	जोड़ें: वर्ष / अवधि के दौरान वृद्धि	438.50	1,061.00	1,110.00	650.00	0.00
बी	घटाएँ: वर्ष/अवधि के दौरान पूंजी-विमुद्रीकरण	33.92	224.34	283.74	65.11	0.00
सी	जोड़ें: वर्ष / अवधि के दौरान निर्वहन (discharges)	20.40	11.48	0.00	0.00	0.00
डी	शुद्ध योग (ए-बी+सी)	<b>424.98</b>	<b>848.14</b>	<b>826.26</b>	<b>584.89</b>	<b>0.00</b>

6. **पूंजीगत लागत** : उपरोक्त अनुमानित अतिरिक्त पूंजीकरण और 176607.84 लाख रुपये की प्रारंभिक पूंजी लागत (01.04.2024 तक) को ध्यान में रखते हुए, टैरिफ की गणना के लिए वर्षवार पूंजीगत लागत निम्नानुसार है:

(लाख रुपए में)

विवरण	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
प्रारंभिक पूंजी लागत	<b>176607.84</b>	<b>177032.82</b>	<b>177880.96</b>	<b>178707.23</b>	<b>179292.11</b>
वर्ष के दौरान शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण	424.98	848.14	826.26	584.89	0.00
समापन पूंजी लागत	<b>177032.82</b>	<b>177880.96</b>	<b>178707.23</b>	<b>179292.11</b>	<b>179292.11</b>

## 7. वार्षिक नियत लागत :की गणना (एएफसी)

उपरोक्त पूंजीगत लागत के आधार पर, टैरिफ के विभिन्न घटकों की गणना निम्नलिखित तरीके से की गई है, जैसा कि प्रासंगिक सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 में निर्दिष्ट है:

### ए. इक्विटी पर रिटर्न :(आरओई)

- (i) धौलीगंगा पावर स्टेशन एक पॉन्डेज प्रकार का संयंत्र है, टैरिफ विनियमन 2024 के विनियमन-25 के तहत अनुमानित पूंजीगत व्यय के लिए आरओई की गणना के लिए आधार दर 16.5% मानी गई है और टैरिफ विनियमन 2024 के विनियमन-26 के तहत अनुमानित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के लिए 1 अप्रैल 2024 को एक वर्षीय एसबीआई एमसीएलआर प्लस 350 आधार बिंदु पर विचार किया गया है।
- (ii) आरओई की आधार दर को सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2024 के विनियमन-31(1) के अनुरूप 01.04.2024 को प्रचलित एमएटी दर के साथ जोड़ा गया है, जिसे बाद में "प्रभावी कर" दर के आधार पर टू-अप किया जाएगा।

### बी. मूल्यहास:

चूंकि धौलीगंगा पावर स्टेशन ने पहले ही अपने उपयोगी जीवन के 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं, इसलिए शेष मूल्यहास मूल्य को पावर स्टेशन के उपयोगी जीवन को **40 वर्ष** मानते हुए सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 के विनियम 33 के अनुरूप पावर स्टेशन के शेष उपयोगी जीवन पर विस्तारित किया गया है।

### सी. ऋण पर ब्याज:

वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो के आधार पर ब्याज की भारित औसत दर को सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 के विनियम 32 के अनुरूप टैरिफ अवधि 2024-29 के लिए ऋण पर ब्याज की गणना के लिए माना जाता है।

### डी. ओएंडएम व्यय:

धौलीगंगा पावर स्टेशन के लिए टैरिफ अवधि 2024-29 के लिए लागू ओएंडएम व्यय को पहले ही सीईआरसी (टैरिफ की शर्तें और नियम) विनियम, 2024 के विनियम 36(2) के तहत माननीय आयोग द्वारा पावर स्टेशन के पिछले वर्षों के वास्तविक ओएंडएम व्यय के आधार पर अधिसूचित किया जा चुका है। सीईआरसी (टैरिफ की शर्तें और नियम) विनियम, 2024 के विनियमन 36 (2) का प्रासंगिक अंश:

**“36 प्रचालन एवं रखरखाव व्यय:**

**(2) हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन:**

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2026-27	वित्त वर्ष 2027-28	वित्त वर्ष 2028-29
धौलीगंगा	11323.06	11942.18	12595.14	13283.81	14010.13

.....

(ग) हाइड्रो उत्पादन स्टेशनों के लिए प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा प्राप्त सुरक्षा व्ययपूंजी, स्पेयर्स एवं बीमा व्यय की अनुमति विवेकपूर्ण जांच के बाद पृथक रूप से दी जाएगी:

बशर्ते यह कि उत्पादन स्टेशन उसके अनुमानित व्यय के साथ सुरक्षा व्ययपूंजी स्पेयर्स , और बीमा व्यय का मूल्यांकन प्रस्तुत करेंगे जिसे समुचित स्पष्टीकरण के साथ उपभोग किए गए , वर्षवार वास्तविक पूंजी व्यय वास्तविक बीमा और व्ययित , सुरक्षा व्यय के विवरणों के आधार पर टूट अप किया जाएगा।

तदनुसार, 2024-29 के लिए अनुमानित सुरक्षा व्यय का दावा 2023-24 के दौरान वास्तविक सुरक्षा व्यय के आधार पर 2024-25 से 5.47% की दर से बढ़ाकर किया गया है। 2024-25 के लिए बीमा

व्यय प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर दिए गए बीमा लागत के आधार पर लिया गया है। इसके अलावा, इस लागत को 2025-26 से 2028-29 तक 5.47% प्रति वर्ष की दर से और बढ़ाया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम का परियोजनावार ब्यौरा और प्रतिस्पर्धी बोली से संबंधित दस्तावेज़ **अनुलग्नक-VI** के रूप में संलग्न हैं। पूंजीगत पुर्जों की खपत का दावा वास्तविक खपत के आधार पर सही करने के समय किया जाएगा। अनुमत ओएंडएम व्यय के अतिरिक्त दावा किए गए ओएंडएम व्यय का विवरण निम्नानुसार है

(रुपये लाख में)

विवरण	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
स्वीकृत मानक ओ एंड एम व्यय	11323.06	11942.18	12595.14	13283.81	14010.13
अनुमानित सुरक्षा व्यय (बी)	2097.53	2212.27	2333.28	2460.91	2595.52
अनुमानित बीमा व्यय (सी)	2100.79	2215.70	2336.90	2464.73	2599.55
पूंजीगत पुर्जों की खपत (घ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल ओ एंड एम व्यय = ई) (डी + सी + बी + ए	<b>15521.38</b>	<b>16370.15</b>	<b>17265.32</b>	<b>18209.45</b>	<b>19205.20</b>

तदनुसार माननीय आयोग से अनुरोध है कि वह 2024-29 की अवधि के लिए उपरोक्त ओएंडएम व्यय की अनुमति दे। 2024-29 के दौरान सुरक्षा व्यय, पूंजीगत पुर्जों की खपत और बीमा व्यय के कारण वास्तविक व्यय टैरिफ के सही होने के समय प्रस्तुत किया जाएगा।

### **ई. कार्यशील पूंजी पर ब्याज**

कार्यशील पूंजी पर ब्याज की गणना विनियमन 34(1)(डी) के अनुसार मानक आधार पर और सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2024 के विनियमन 34(3) के अनुसार 01.04.2024 को संदर्भ दर पर की गई है।

8. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ की शर्तें और नियम) विनियमन, 2024 के आधार पर 01.04.2024 से 31.03.2029 की अवधि के लिए धौलीगंगा पावर स्टेशन के संबंध में वार्षिक निश्चित शुल्क (एएफसी) निम्नानुसार है: (अनुलग्नक-II का फॉर्म-1 देखें)।

(रुपये लाख में)

एएफसी घटक	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
मूल्यहास	2,358.52	2,387.38	2,433.04	2,476.93	2,494.29
ऋण पर ब्याज	775.04	693.49	628.23	567.43	453.30
इक्विटी पर रिटर्न (आरओई)	9,531.99	9,564.94	9,611.33	9,649.02	9,663.21
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	857.09	893.35	932.30	971.98	1,014.93
प्रचालन एवं रखरखाव पर व्यय (MExpenses&O)	15,521.38	16,370.15	17,265.32	18,209.45	19,205.20
वार्षिक नियत लागत (एएफसी)	<b>29,044.03</b>	<b>29,909.31</b>	<b>30,870.23</b>	<b>31,874.80</b>	<b>32,830.94</b>

9. वर्ष 2024-25 (टैरिफ अवधि 2024-29 का पहला वर्ष) के लिए 12,32,000/- रुपये की फाइलिंग फीस सीईआरसी (शुल्क का भुगतान) विनियम, 2012 और इसके संशोधनों के अनुसार पहले ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित कर दी गई है। इसकी सूचना सीईआरसी को पहले ही दे दी गई है। इसके अलावा, टैरिफ अवधि 2024-29 के शेष वर्षों के संबंध में फाइलिंग शुल्क उपरोक्त सीईआरसी विनियमन के अनुपालन में संबंधित वर्ष की 30 अप्रैल तक याचिकाकर्ता द्वारा जमा कर दिया जाएगा। तदनुसार, माननीय आयोग से अनुरोध है कि वह सीईआरसी टैरिफ विनियम,

- 2024 के विनियम 94(1) के अनुरूप लाभार्थियों से फाइलिंग शुल्क की प्रतिपूर्ति की अनुमति देने की कृपा करें ।
10. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (व्यवसाय का संचालन) विनियम, 2023 के अनुपालन में, याचिकाकर्ता धौलीगंगा पावर स्टेशन के संबंध में टैरिफ याचिका की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा। इसके लिए प्रकाशन का प्रमाण अलग से प्रस्तुत किया जाएगा। माननीय आयोग से अनुरोध है कि वह सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2024 के विनियमन 94(1) के अनुरूप लाभार्थियों से प्रकाशन व्यय की वसूली की अनुमति प्रदान करें ।
  11. उपरोक्त टैरिफ प्रस्ताव में किसी भी सरकार (केंद्रीय/राज्य) और/या किसी अन्य स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/नियामक प्राधिकरण द्वारा सहायक उपभोग सहित बिजली के उत्पादन या पानी, बिजली के संचरण, पर्यावरण संरक्षण, बिजली/ऊर्जा की बिक्री या आपूर्ति, और/या उत्पादन स्टेशनों और/या संचरण प्रणाली से जुड़े किसी भी प्रतिष्ठान के संबंध में लगाए गए/लगाए गए किसी भी वैधानिक कर, शुल्क, शुल्क, उपकर या किसी भी अन्य प्रकार के अधिरोपण शामिल नहीं हैं।।
  12. एनएचपीसी द्वारा किसी भी माह में संबंधित प्राधिकारियों को उपर्युक्त करों/शुल्कों/उपकर/लेवी आदि के रूप में देय राशि का वहन प्रतिवादियों द्वारा एनएचपीसी को किया जाएगा तथा अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा तथा प्रतिवादियों द्वारा उनके द्वारा देय वार्षिक क्षमता प्रभार के अनुपात में इसका भुगतान किया जाएगा।
  13. इसके अलावा, टैरिफ प्रस्ताव में सीईआरसी (अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क और घाटे का बंटवारा) विनियमन, 2020 और इसके संशोधनों और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र और अन्य संबंधित मामलों के शुल्क और शुल्क) विनियमन, 2024 और इसके संशोधनों के तहत PGCIL, POSOCO/NLDC को भुगतान किए जाने वाले किसी भी ट्रांसमिशन/संचार/यूएलडीसी शुल्क शामिल नहीं हैं। ये शुल्क, जहां लागू हों, सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2024 के विनियमन 94 के अनुसार लाभार्थियों से सीधे वसूल किए जा सकेंगे।

## भाग सी: वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कमी का दावा

1. सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2024 का विनियमन 65(8) उत्पादन कंपनी को टैरिफ अवधि 2019-24 के लिए कमी का दावा करने की अनुमति देता है, जिसे इस विनियमन के विनियमन 65(7) के अनुसार वसूल किए जाने वाले टैरिफ अवधि के दौरान वसूल नहीं किया जा सका। विनियमों का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“65. हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशनों के लिए क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार की गणना और भुगतान:

.....

*(7) यदि किसी हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन की बिक्री योग्य अनुसूचित ऊर्जा (एक्स-बस) किसी वर्ष के दौरान उत्पादन स्टेशन के नियंत्रण से परे कारणों से बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा (एक्स-बस) से कम है, तो उत्पादन स्टेशन तत्काल अगले वर्ष में डीएसएम ऊर्जा के लिए समायोजन करने के बाद छह बराबर ब्याज मुक्त मासिक किस्तों में ऊर्जा प्रभार में कमी को सीधे वसूल कर सकता है और टैरिफ अवधि के अंत में इसे सही करने के अधीन होगा। बशर्ते कि .....*

*(8) टैरिफ अवधि 2019-24 के दौरान बिक्री योग्य अनुसूचित ऊर्जा (एक्स-बस) के बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा (एक्स-बस) से कम होने के कारण ऊर्जा प्रभार में कोई कमी, जो उत्पादन स्टेशन के नियंत्रण से परे थी और जिसे उक्त टैरिफ अवधि के दौरान वसूल नहीं किया जा सका, इस विनियमन के खंड (7) के अनुसार वसूल की जाएगी।”*

2. सीईआरसी टैरिफ विनियम 2024 की अधिसूचना तक एनएचपीसी ने सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019 के विनियम 44(7) के अनुरूप वित्त वर्ष 2019-20, वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कमी याचिका दायर की है। हालांकि, सीईआरसी टैरिफ विनियम 2024 की अधिसूचना तक वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कमी याचिका सीईआरसी में दायर नहीं की जा सकी क्योंकि वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम आर्इए जारी नहीं किया गया था।

3. इसलिए, एनएचपीसी ने विनियम 65(8) और 65(7) के अनुरूप एनएचपीसी के कुछ पावर स्टेशनों के लिए सितंबर 2024 के महीने में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ऊर्जा शुल्क में कमी का बिल उठाया है। वर्तमान में, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम आरईए प्राप्त न होने के कारण वित्त वर्ष 2023-24 में कमी के लिए बिल आज तक नहीं उठाया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम आरईए प्राप्त होने पर, एनएचपीसी संबंधित पावर स्टेशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ऊर्जा शुल्क में कमी के लिए बिल उठाएगी। अंतिम आरईए प्राप्त होने के बाद ऊर्जा शुल्क में कमी को सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2024 के विनियमन 65(8) और 65(7) के अनुसार सही किया जाएगा और इस संबंध में विस्तृत प्रस्तुति तत्काल याचिका में अतिरिक्त जानकारी के रूप में की जाएगी।

## प्रार्थना

### भाग 24-2019 :ए-की अवधि के लिए टैरिफ का ड्रइंग अप

माननीय आयोग से अनुरोध है कि कृपया निम्न का अनुमति प्रदान करने की कृपा करें:

1. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की नियम व शर्तें) विनियम, 2019 के विनियम-13 के अनुसार 01.04.2019 से 31.03.2024 की अवधि के लिए धौलीगंगा पावर स्टेशन के टैरिफ में संशोधन की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें ।
2. ऐसे अतिरिक्त पूंजीगत व्यय की अनुमति दें, जिन्हें सीईआरसी द्वारा दिनांक 18.08.2022 के आदेश के तहत अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन 2019-24 के दौरान साइट विशिष्ट आवश्यकताओं के कारण खर्च किया गया था, जैसा कि ऊपर पैरा-7 (भाग-ए) में उल्लिखित है।
3. सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019 के विनियम 26 के तहत दावा किए गए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय की अनुमति देने के लिए, जो कि ऊपर पैरा-7 (भाग-ए) में उल्लिखित संयंत्र के सफल और कुशल संचालन के लिए आवश्यक समझा गया था।
4. उपरोक्त पैरा-8 (भाग-ए) में उल्लिखित टैरिफ के उद्देश्य के लिए छोटी संपत्तियों, उपकरणों और उपकरणों, फर्नीचर, कंप्यूटर आदि की प्रकृति की वस्तुओं से संबंधित प्रविष्टियों को बाहर करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें ।
5. उपरोक्त पैरा-9 (भाग-ए) में दावा किए अनुसार शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें ।
6. उपरोक्त पैरा-11 (ए) (भाग-ए) में उल्लिखित अनुसार 2019-24 की अवधि के लिए 'प्रभावी कर' दर के आधार पर आरओई की सकल दर को सही करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें ।
7. पैरा-11 (डी) में उल्लिखित अनुसार ओएंडएम व्यय की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।
8. धौलीगंगा पावर स्टेशन के वार्षिक निश्चित शुल्क (एएफसी) की गणना और दावा क्रमशः वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए **₹26487.40 लाख**,

**₹25748.91लाख, ₹26223.81लाख, ₹28467.62 लाख और ₹29089.68 लाख** के रूप में किया गया है, जैसा कि **ऊपर पैरा-12 (भाग-ए)** में उल्लेख किया गया है। माननीय आयोग कृपया उपरोक्त एएफसी की प्रदान करने की कृपा करें। दावा किए गए एएफसी और सीईआरसी द्वारा याचिका संख्या 284/जीटी/2020 में दिनांक 18.08.2022 के आदेश के तहत अनुमत एएफसी के बीच के अंतर को सीईआरसी (टैरिफ की नियम एवं शर्तें) विनियम, 2019 के विनियम 13(4) और उसके बाद के संशोधनों में निर्दिष्ट तरीके से प्रतिवादियों से वसूल / वापस करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

9. एनएचपीसी को प्रतिवादियों को लेवी, कर, शुल्क, उपकर, शुल्क, फीस आदि के लिए बिल देने की अनुमति दी जा सकती है, यदि कोई हो, जैसा कि ऊपर **पैरा-14 से 16 (भाग-ए)** में उल्लिखित है।

### **भाग 29-2024 :बी-की अवधि के लिए टैरिफ याचिका**

**माननीय आयोग से अनुरोध है कि कृपया निम्न का अनुमति प्रदान करने की कृपा करें:**

10. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1)(ए) के तहत 01.04.2024 से 31.03.2029 की अवधि के लिए धौलीगंगा पावर स्टेशन के टैरिफ को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की शर्तें और नियम) विनियम, 2024 के विनियम-10 के साथ पढ़ने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।
11. **पैरा-5 और 6 (भाग-बी)** में दावा किए अनुसार 2024-29 की अवधि के लिए शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।
12. **पैरा-7(डी) (भाग-बी)** में उल्लिखित अनुसार 2024-29 के दौरान लाभार्थियों से अनुमानित सुरक्षा व्यय और बीमा व्यय वसूलने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।
13. धौलीगंगा पावर स्टेशन के लिए 2024-29 की अवधि के लिए वार्षिक निश्चित शुल्क (एएफसी) क्रमशः वित्त वर्ष 2024-25, 2025-26, 2026-27, 2027-28 और 2028-29 के लिए **₹29044.03 लाख, ₹29909.31लाख, ₹30870.23लाख, ₹31874.80लाख और**

**₹32830.94 लाख** निर्धारित किया गया है, जैसा कि ऊपर **पैरा-8 (भाग-बी)** में उल्लेख किया गया है। माननीय आयोग कृपया इन एएफसी को अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। दावा किए गए एएफसी और सीईआरसी द्वारा दिनांक 18.08.2022 के आदेश (वर्ष 2023-24 की अवधि के लिए) के तहत स्वीकृत एएफसी के बीच के अंतर को सीईआरसी (टैरिफ की नियम एवं शर्तों) विनियम, 2024 के विनियम 10(6) और उसके बाद के संशोधनों में निर्दिष्ट तरीके से प्रतिवादियों से वसूलने/वापस करने की अनुमति दी जा सकती है।

14. **पैरा-9 [भाग-बी]** में उल्लिखित इस याचिका के दाखिल शुल्क की प्रतिपूर्ति की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।
15. **पैरा-10 [भाग-बी]** में उल्लिखित वर्ष 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ के आवेदन में नोटिस के प्रकाशन पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।
16. एनएचपीसी को प्रतिवादियों को उपकर, कर, शुल्क, उपकर, संचरण शुल्क, फीस आदि के लिए बिल देने की अनुमति दी जाए, जैसा कि **पैरा-11 से 13(भाग-बी)** में उल्लेख किया गया है।
17. ऐसे अन्य और आगे के आदेश/आदेश पारित करें जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे जाएं।

एनएचपीसी लिमिटेड

के माध्यम से

(अजय श्रीवास)

महाप्रबंधक (वाणिज्य)

स्थान फरीदाबाद :

तारीख :28.11.2024

## घोषणा

ऊपर नामित याचिकाकर्ता(ओं) द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा की जाती है कि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई या दबाई नहीं गई है और आगे यह भी घोषणा की जाती है कि संलग्नक और सामग्री कागजात का टाइप किया हुआ सेट जिस पर भरोसा किया गया है और जिसके साथ दायर किया गया है, वह मूल प्रतियों की सही प्रतियां/मूल प्रतियों का उचित प्रतिनिधित्व/उनका सही अनुवाद है।

28 नवंबर 2024 को फरीदाबाद में सत्यापित

एनएचपीसी लिमिटेड

के माध्यम से

(अजय श्रीवास)

महाप्रबंधक (वाणिज्यिक )

माननीय केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ,नई दिल्ली

के समक्ष

याचिका संख्या /जीटी2024/

इस मामले में :

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1) (ए) और 79(1)(ए) और सीईआरसी (कारबार संचालन) विनियम, 2023 के विनियम 15(1)(ए), 18, 23 और सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम, 2019 के विनियम 13, 24,25,26,31(3), 34(3), 35(2) के तहत **धौलीगंगा पावर स्टेशन** के संबंध में 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफके दूइंग अप हेतु टैरिफ याचिका।

और इस मामले में :

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1) (ए) और 79(1)(ए) और सीईआरसी (व्यवसाय का संचालन) विनियम, 2023 के विनियम 15(1)(ए), 18, 23 और सीईआरसी (टैरिफ की शर्तें और नियम) विनियम, 2024 के विनियम 9(2), 10(1), 12, 25, 26, 36 (2), 65(7), 65(8) और अन्य प्रासंगिक विनियमों के तहत **धौलीगंगा पावर स्टेशन** के संबंध में 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका।

**याचिकाकर्ता:**

एनएचपीसी लिमिटेड,

(भारत सरकार का नवरत्न उद्यम)

एनएचपीसी कार्यालय परिसर ,सेक्टर,33-

फरीदाबाद (हरियाणा)-121003

**प्रतिवादी :(गण)**

.1 अध्यक्ष ,

पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड,

(पंजाब) 001 147 – पटियाला ,काली बाड़ी मंदिर के पास ,द मॉल व 12 अन्य

ईमेलcom.gmail@seisbpspcl :

फ़ोन नंबर: 9646121804

## याचिका की पुष्टि करने वाला हलफनामा

मैं , अजय श्रीवास पुत्र श्री वी.पी. श्रीवास, आयु 52 वर्ष, महाप्रबंधक (वाणिज्यिक), एनएचपीसी लिमिटेड, निवासी फरीदाबाद, एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ तथा निम्नलिखित कथन करता हूँ:-

1. कि अभिसाक्षी याचिकाकर्ता का प्राधिकृत अधिकारी है तथा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से भली-भाँति परिचित है, इसलिए इस शपथ-पत्र पर शपथ लेने के लिए सक्षम है।
2. कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1)(ए) के अंतर्गत संलग्न याचिका मेरे द्वारा दायर की जा रही है तथा इसकी विषय-वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।
3. कि याचिका में उल्लिखित तथ्यों के पैरा-1 से 16 (भाग-ए), पैरा-1 से 13 (भाग-बी) तथा पैरा-1 से 3 (भाग-सी) की विषय-वस्तु मेरे व्यक्तिगत ज्ञान, विश्वास तथा कार्यालय में रखे गए अभिलेखों के आधार पर सत्य और सही है।
4. याचिका के साथ संलग्न अनुलग्नक सही हैं तथा संबंधित मूल प्रतियों की सत्य प्रतियां हैं।
5. अभिसाक्षी ने विवाद के विषय के संबंध में किसी अन्य फोरम या न्यायालय के समक्ष कोई अन्य याचिका या अपील दायर नहीं की है।

साक्षी

### **सत्यापन**

आज दिनांक 28.11.2024 को फरीदाबाद में सत्यापित किया गया कि मेरे उपरोक्त शपथ पत्र की विषय-वस्तु मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है तथा इसका कोई भी भाग झूठा नहीं है तथा इसमें कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है।

साक्षी